[2009] 14 (अति) एस.सी.आर 548

बजाज ऑटो लिमिटेड

बनाम

टी.वी.एस. मोटर कंपनी लिमिटेड

(2009 की दीवानी अपील सं. 6309)

सितंबर 16, 2009

[मार्कंडेय काट्जू और अशोक कुमार गांगुली, न्यायमूर्तिगण]

दीवानी प्र. सं., 1908:

आ. 17, नि. 1(2), परंतुक (ए) - सुनवाई का स्थगन - पेटेंट के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए दाखिल वाद - उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश(ए.न्या.) द्वारा अंतरिम व्यादेश प्रदान - अंतरिम आदेश के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय की खंड पीठ (खं.पी.) द्वारा स्वीकार - मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा - वाद अभी भी विचाराधीन - अभिनिर्धारित: पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट से संबंधित मामलों में वादों की सुनवाई प्रारंभ होने के पश्चात, नि. 1 के उप-नियम (2) के परंतुक (ए) का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए और ऐसे मामलों में वाद की सुनवाई दिन-प्रतिदिन के आधार पर होनी चाहिए तथा अंतिम निर्णय सामान्यतः वाद दाखिल होने की तारीख से चार माह के भीतर दिया जाना चाहिए - वर्तमान मामले में, यद्यपि कुछ लंबे समय तक तर्क प्रस्तुत किए गए, अंतवर्ती चरण पर मामले का निर्णय करने के बजाय, वाद को ही बहुत शीघ्र तारीख पर अंतिम रूप से निपटाया जाना चाहिए - इसलिए, यह निर्देश दिया जाता है कि प्रतिवादी आदेश में उल्लिखित रूप से लिखित कथन दाखिल करेगा और उच्च न्यायालय वाद की सुनवाई दिन-प्रतिदिन के आधार पर प्रारंभ करेगा - सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित

अंतरिम आदेश निरस्त किए जाते हैं और आदेश में दिए गए निर्देशों द्वारा प्रतिस्थापित किए जाते हैं - भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1973 - वाद - पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट से संबंधित वादों की सुनवाई - प्रथा और प्रक्रिया।

मेसर्स श्री वर्धमान राइस एंड जनरल मिल्स बनाम मेसर्स अमर सिंह चावलवाला **विशेष अनुमति याचिका(याचिका) सं. 21594 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 7.9.2009 को निर्णीत, निर्भर किया गया।**

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार : 2009 की दीवानी अपील सं. 6309।

मद्रास उच्च न्यायालय के 2008 की ओ.एस.ए. सं. 92 में दिनांक 18.5.2009 के निर्णय एवं आदेश से।

के साथ

2009 की दीवानी अपील सं. 6310।

एच.एन. साल्वे, आर.एफ. नरीमन, महेश अग्रवाल, ऋषि अग्रवाला, ए.ए. मोहन, शिराज धुरे, पूर्णिमा भट अपीलकर्ता की ओर से।

शांति भूषण, डॉ. ए.एम. सिंघवी, गोपाल जैन, प्रियांजलि यादव, अनुसूया संधू सिन्हा, शिराज कॉन्ट्रैक्टर पटोडिया, अंकुर चावला, पल्लवी लैंगर, अमृता भट्टाचार्या ("सओएसी" के लिए) उत्तरदाता की ओर से।

न्यायालय का निर्णय दिया गया

मार्कंडेय काट्जू, न्यायमूर्ति 1. अनुमति प्रदान की गई।

2. यह अपील मद्रास उच्च न्यायालय की खंड पीठ (खं.पी.) के 2008 की ओ.एस.ए. सं. 92 में दिनांक 18.5.2009 के आक्षेपित आदेश के विरुद्ध दाखिल की गई है।

3. प्रतीत होता है कि यहां अपीलकर्ता द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1973 (संक्षेप में 'अधिनियम') के अंतर्गत अपने पेटेंट सं. 195904 के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए 2007 की वाद सं. सी.एस. सं. 1111 दाखिल किया गया था।

4. विद्वान एकल न्यायाधीश ने 16 फरवरी, 2008 को अंतरिम व्यादेश प्रदान किया।

5. उक्त अंतरिम आदेश दिनांक 16 फरवरी, 2008 को चुनौती देते हुए, उत्तरदाता-प्रतिवादी द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय की खंड पीठ (खं.पी.) के समक्ष अपील दाखिल की गई जिसने आक्षेपित आदेश दिनांक 18.5.2009 द्वारा अपील स्वीकार की।

6. अतः, यह अपील हमारे समक्ष विशेष अनुमति से।

7. यह स्पष्ट है कि वाद अभी भी मद्रास उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष विचाराधीन है। हम इस बात से अप्रसन्न हैं कि मामला उच्च न्यायालय में इतने लंबे समय से अंतवर्ती चरण पर लंबित है क्योंकि वाद दिसंबर, 2007 में दाखिल किया गया था और अभी तक लिखित कथन भी दाखिल नहीं हुआ है।

8. हाल ही में, हमने 07 सितंबर, 2009 को निर्णीत 2009 की विशेष अनुमति याचिका सं. 21594 में मेसर्स श्री वर्धमान राइस एंड जेन मिल्स बनाम मेसर्स अमर सिंह चावलवाला के मामले में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

"...विवाद के गुण-दोष में जाए बिना, हम इस मत के हैं कि ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट से संबंधित मामलों को विचारण न्यायालय द्वारा केवल व्यादेश देने या देने से इनकार करने के बजाय बहुत शीघ्रता से अंतिम रूप से निर्णीत किया जाना चाहिए। अनुभव दर्शाता है कि ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट के मामलों में, मुकदमेबाजी मुख्यतः पक्षकारों के बीच अस्थायी व्यादेश के बारे में लड़ी जाती है और यह वर्षों और वर्षों तक चलती रहती है और परिणाम यह होता है कि वाद मुश्किल से ही अंततः निर्णीत हो पाता है। यह उचित नहीं है।

आ. XVII नि. 1(2) दी. प्र. सं. का परंतुक (ए) यह उपबंधित करता है कि जब वाद की सुनवाई प्रारंभ हो जाए, तो उसे दिन-प्रतिदिन जारी रखा जाएगा जब तक कि उपस्थित सभी साक्षियों की परीक्षा न हो जाए, सिवाय इसके कि न्यायालय यह पाए कि उसके द्वारा अभिलिखित किए जाने वाले असाधारण कारणों से अगले दिन के बाद सुनवाई का स्थगन आवश्यक है। न्यायालय को उक्त परंतुक के खंड (बी) से (ई) का भी पालन करना चाहिए।

हमारी राय में, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट से संबंधित मामलों में आ. XVII नि. 1(2) दी. प्र. सं. के परंतुक का सभी न्यायालयों द्वारा कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए, और ऐसे मामलों में वाद की सुनवाई दिन-प्रतिदिन के आधार पर आगे बढ़नी चाहिए और अंतिम निर्णय सामान्यतः वाद दाखिल होने की तारीख से चार माह के भीतर दिया जाना चाहिए।"

9. जैसा कि हमने उपर्युक्त मामले में देखा है, अनुभव ने दर्शाया है कि हमारे देश मेपेटेंट,

ट्रेडमार्क और कॉपीराइट के मामलों से संबंधित वाद वर्षों और वर्षों से लंबित हैं और मुकदमेबाजी मुख्यतः पक्षकारों के बीच अस्थायी व्यादेश के बारे में लड़ी जाती है। यह मामलों की बहुत असंतोषजनक स्थिति है, और इसीलिए हमने न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपर्युक्त मामले में उपर्युक्त उद्धृत आदेश पारित किया था। हम निर्देश देते हैं कि उक्त आदेश के निर्देशों को इस देश के सभी न्यायालयों और अधिकरणों द्वारा तत्परता और निष्ठा से पालन किया जाए।

10. वर्तमान मामले में, यद्यपि दोनों पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा कुछ लंबे समय तक तर्क प्रस्तुत किए गए, हम इस मत के हैं कि अंतवर्ती चरण पर मामले का निर्णय करने के बजाय, वाद को ही बहुत शीघ्र तारीख पर अंतिम रूप से निपटाया जाना चाहिए।

11. अतः, विवाद के गुण-दोष में जाए बिना, हम उत्तरदाता-प्रतिवादी को निर्देश देते हैं कि वाद में लिखित कथन, यदि पहले से दाखिल नहीं किया गया हो, दशहरा छुट्टियों के लिए मद्रास उच्च न्यायालय के बंद होने की अंतिम तारीख पर या उससे पहले दाखिल करे। हम वाद का विचारण कर रहे विद्वान एकल न्यायाधीश से अनुरोध करेंगे कि वे दशहरा छुट्टियों के पश्चात मद्रास उच्च न्यायालय के पुनः खुलने पर वाद की सुनवाई प्रारंभ करें और फिर उसे दिन-प्रतिदिन के आधार पर जारी रखें। सामान्यतः कोई भी स्थगन नहीं दिया जाएगा और वाद को 30 नवंबर, 2009 को या उससे पहले अंतिम रूप से निपटाया जाएगा।

12. इस न्यायालय के दिनांक 08 जून, 2009 और 31 अगस्त, 2009 के अंतरिम आदेश निरस्त किए जाते हैं और निम्नलिखित निर्देशों द्वारा प्रतिस्थापित किए जाते हैं।

13. उत्तरदाता अपने उत्पाद को बेचने का हकदार होगा, किंतु वह अपनी संपूर्ण भारत और निर्यात बिक्री का सटीक अभिलेख/लेखा-जोखा संधारित करेगा। हम एक रिसीवर नियुक्त कर रहे हैं जिसे ऐसी बिक्री के अभिलेख उत्तरदाता द्वारा प्रत्येक पखवाड़े प्रस्तुत किए जाएंगे और उन

पर उत्तरदाता के एक उत्तरदायी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर और प्रमाणीकरण किया जाएगा। उसकी एक प्रति अपीलकर्ता को भी दी जाएगी। हम मद्रास उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध कर रहे हैं कि वे इस मामले में तत्काल एक रिसीवर नामित करें जिसे उत्तरदाता द्वारा पाक्षिक रूप से बिक्री अभिलेख/लेखा-जोखा प्रस्तुत किया जाएगा, और रिसीवर उक्त बिक्री अभिलेख/लेखा-जोखा का सत्यापन करेगा और तत्पश्चात मद्रास उच्च न्यायालय की उस पीठ को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा जहां वाद विचाराधीन है। उसकी एक प्रति पक्षकारों को भी भेजी जाएगी। यह निर्देश वाद की लंबितता तक जारी रहेगा। रिसीवर का पारिश्रमिक माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा निश्चित किया जाएगा।

14. हम यह स्पष्ट करते हैं कि हम मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। विद्वान एकल न्यायाधीश वाद का निर्णय इस आदेश से या खंड पीठ के आक्षेपित आदेश में की गई किसी टिप्पणी से या यहां अपीलकर्ता के पक्ष में अस्थायी व्यादेश प्रदान करने वाले विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश में की गई किसी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना करेंगे।

15. इस न्यायालय के महासचिव को निर्देश दिया जाता है कि वे इस निर्णय की एक प्रति तत्काल मद्रास उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को भेजें जो उसे माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष उचित निर्देश प्राप्त करने के लिए रखेंगे।

16. इस आदेश की प्रति पक्षकारों को आज ही दी जाए।

17. अपील तदनुसार निस्तारित की जाती है। कोई लागत नहीं।

2009 की दीवानी अपील सं. 6310

उर्फ 2009 की विशेष अनुमति याचिका सं. 14039

18. अनुमति प्रदान की गई।

19. 2009 से उत्पन्न दीवानी अपील विशेष अनुमति याचिका सं. 13933 में हमारे निर्णय के मद्देनजर, यह अपील भी उन्हीं शर्तों पर निस्तारित की जाती है। कोई लागत नहीं।

आर.पी. अपील निस्तारित की गई।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।